भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली 2017

अधिसूचना सं. 7 /2017- सीमाशुल्क (गै.टे.) 24 जनवरी, 2017

सा.का.नि._____ .- केंद्र सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और धारा 156 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. लघु शीर्ष और प्रारंभन.- (1) इन नियमों का नाम भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली 2017 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

(क) 'संकटपूर्ण हालात' से अभिप्राय ऐसे हालात से है जिनमें में यह स्पष्ट साक्ष्य है कि किसी उद्गमित माल के बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा पहुंचने का खतरा है और जहां पर अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपायों को लागू करने में विलंब किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचेगी जिसकी भरपाई करनी कठिन होगी;

(ख) 'महानिदेशक' से अभिप्राय है, सीमाशुल्क टैरिफ (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम 1997 के नियम 3 के उपनियम (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक (रक्षोपाय);

(ग) 'घरेलू उद्योग' से अभिप्राय, ऐसे उत्पादकों से है जो,-

(i) भारत में, पूर्ण रूप से एक समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिप्रस्पर्धात्मक माल के निर्माता हैं; अथवा

(ii) जिनका एक समान माल अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माल का भारत में सामूहिक निर्गत, भारत में उक्त माल के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है;

(घ) 'माल' से अभिप्राय किसी व्यापारिक माल, उत्पाद, मद अथवा सामग्री से है;

(ड) 'बढ़े हुए आयात' से अभिप्राय है, जापान से होने वाले आयात में बढ़ोतरी, चाहे यह संपूर्ण रूप में हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष रूप में हो;

(च) 'इच्छुक पार्टी' में शामिल है,-

(i) जापान का कोई निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा माल का आयातक जो द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय करने के आशय से जांच पड़ताल के अध्यधीन हो अथवा व्यापार अथवा कारोबारी संघ जिसके अधिकांश सदस्य ऐसे माल के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हों,

(ii) जापान सरकार; और

(iii) भारत में उसी प्रकार के माल अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माल के उत्पादक अथवा व्यापार अथवा कारोबारी संघ जिसके अधिकांश संदस्य भारत में एक समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक माल के उत्पादक हैं अथवा उसका व्यापार करते हैं;

(छ) 'उद्गमित माल' से अभिप्राय, ऐसे माल से है जोकि दिनांक 01 अगस्त 2011 को सा.का.नि. सं. 594(अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 01 अगस्त 2011 की अधिसूचना संख्या 55/2011-सीमाशुल्क (गै.टे) के अंतर्गत अधिसूचित सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियमावली 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्गमित माल के रूप में अर्हक है;

(ज) 'गंभीर क्षति' से अभिप्राय है, घरेलू उद्योग की स्थिति में पर्याप्त समग्र क्षति;

(झ) 'गंभीर क्षति का खतरा' से अभिप्राय, ऐसी गंभीर क्षति से है जोकि केवल आरोप, अटकलबाजी अथवा दूर की संभावना पर आधारित न होकर स्पष्ट तथ्यों पर आधारित है;

(ण) 'व्यापार करार' से अभिप्राय है, 'भारत गणराज्य और जापान के बीच विस्तृत आर्थिक साझेदारी करार'।

(2) यहां प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) और सीमाशुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) में परिभाषित किया गया है, का क्रमश: वही अभिप्राय होगा जोकि उन्हें इन अधिनियमों में दिया गया है।

3. महानिदेशक के कर्तव्य.- इन नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, महानिदेशक का कर्तव्य होगा-

(क) इस मामले की जांच पड़ताल करना कि क्या भारत में किसी उद्गमित माल के बढ़े हुए आयात के कारण, व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क को समाप्त किए जाने अथवा इसमें कटौती किए जाने के परिणाम के तौर पर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है अथवा पहुंचने का खतरा है;

(ख) उद्देश्यात्मक और आंकलन किए जा सकने के स्वरूप वाले उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करना जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से उद्गमित माल के आयात में पूर्ण और सापेक्षित शर्तों के अनुसार दर और मात्रा में बढ़ोतरी, उद्गमित माल के बढ़े हुए आयात द्वारा कब्जा किए गए घरेलू बाजार का शेयर, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का प्रयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन;

(ग) व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क को समाप्त किए जाने अथवा इसमें कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप जापान से उद्गमित माल के बढ़े हुए आयात के द्वारा घरेलू उद्योग को हुए अथवा होने वाली गंभीर क्षति के संबंध में केंद्र सरकार को अपने निष्कर्ष, अनंतिम अथवा अन्यथा, प्रस्तुत करना;

(घ) ऐसे द्विपक्षीय रक्षोपाय उपायों की सिफारिश करना जिन्हें यदि अंगीकार किया जाता है तो वे गंभीर क्षति को रोकने अथवा समाप्त करने के पर्याप्त होंगे;

(ड़) द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की अवधि की सिफारिश करना तथा जहां कहीं इस प्रकार सिफारिश की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो समायोजन को सुगम बनाने के क्रम में आवश्यक प्रगामी उदारीकरण की सिफारिश करना;

(च) द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय के बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना।

4. जांच पड़ताल आरंभ करना.- (1) उपनियम (4) में किए गए उपबंध को छोड़कर, महानिदेशक एक समान माल अथवा प्रत्यक्ष स्पर्धात्मक माल के घरेलू उत्पादक द्वारा अथवा उसकी ओर से लिखित आवेदन के प्राप्त होने पर, व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क को समाप्त करने अथवा इसमें कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप उद्गमित माल के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए एक जांच पड़ताल आरंभ करेगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत आवेदन उस रूप में किया जाएगा जैसा कि महानिदेशक द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा इस आवेदन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे,-

(क) निम्नलिखित के संबंध में साक्ष्य-

(i) उद्गमित माल का बढ़ा हुआ आयात;

(ii) घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा;

(iii) उद्गमित माल के आयात और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध; और

(iv) व्यापार करार के अंतर्गत कारण के रूप में सीमाशुल्क में कटौती अथवा उसको समाप्त किया जाना जिससे उद्गमित माल के आयात में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है तथा आयात में इस प्रकार की बढ़ोतरी, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने का मुख्य कारण बनती है:

बशर्ते यह कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क में कटौती अथवा इसको समाप्त किए जाने के कारण के बारे में यह जरूरी नहीं है कि यह अन्य किसी कारण के बराबर या उससे बड़ा हो; और

(ख) आयात प्रतिस्पर्धा के संबंध में समायोजन करने के क्रम में किए जा रहे प्रयासों, अथवा तैयार की गई योजनाओं अथवा दोनों के संबंध में विवरण।

(3) महानिदेशक, उपनियम (1) के अंतर्गत किए गए किसी आवेदन के अनुक्रम में तब तक कोई जांच पड़ताल आरंभ नहीं करवाएगा जब तक वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सटीकता

और पर्याप्तता की जांच पड़ताल नहीं कर लेता और इस बात से संतुष्ठ नहीं हो जाता कि निम्नलिखित के संबंध पर्याप्त साक्ष्य है-

(क) उद्‌गमित माल का बढ़ा हुआ आयात;

(ख) गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का खतरा;

(ग) उद्‌गमित माल के आयात और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध; और

(ग) व्यापार करार के अंतर्गत कारण के रूप में सीमाशुल्क में कटौती अथवा उसको समाप्त किया जाना जिससे उद्‌गमित माल के आयात में पर्याप्त बढ़ोतरी होती है तथा आयात में इस प्रकार की बढ़ोतरी, घरेलू उद्‌योग को गंभीर क्षति होने का मुख्य कारण बनती है:

बशर्ते यह कि व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क में कटौती अथवा इसको समाप्त किए जाने के कारण के बारे में यह जरूरी नहीं है कि यह अन्य किसी कारण के बराबर या उससे बड़ा हो।

(4) उपनियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, महानिदेशक स्वप्रेरणा से जांच पड़ताल आरंभ करा सकता है यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त किसी सीमाशुल्क आयुक्त से प्राप्त सूचना से सहमत है अथवा किसी अन्य स्रोत से सहमत है कि उपनियम (3) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में संदर्भित किए अनुसार पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

5. जांच पड़ताल को अधिशासित करने वाले सिद्धांत.- (1) व्यापार करार के अंतर्गत सीमाशुल्क को समाप्त किए जाने अथवा इसमें कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप भारत में उद्‌गमित माल के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्‌योग को हुई गंभीर क्षति अथवा होने वाली गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के क्रम में जांच पड़ताल प्रारंभ किए जाने के संबंध में महानिदेशक द्‌वारा निर्णय ले लिए जाने के पश्चात, महानिदेशक जांच पड़ताल शुरू किए जाने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेंगे तथा सार्वजनिक नोटिस में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना होगी, अर्थात:-

(क) उद्‌गमित माल की, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 52) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जांच पड़ताल और वर्गीकरण के अध्यधीन स्पष्ट व्याख्या;

(ख) जांच पड़ताल के अध्यधीन अवधि;

(ग) जांच पड़ताल शुरू किए जाने की तारीख;

(घ) उन तथ्यों का सारांशीकृत विवरण जिन पर गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का आरोप आधारित है;

(ड़) जांच पड़ताल शुरू किए जाने का कारण;

(च) वह पता जिस पर इच्छुक पार्टियों के अभ्यावेदन भिजवाए जाने हैं; और

(छ) समुचित अभ्यावेदन के माध्यम से इच्छुक पार्टियों द्वारा उनके मत प्रदान करने के लिए अनुमत्य समयसीमा।

(2) महानिदेशक, सार्वजनिक नोटिस की प्रति निम्नलिखित को भिजवाएगा-

(क) केंद्र सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालय, जैसा कि वह उचित समझे;

(ख) उसके उद्गमित माल, जिसके बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को कथित रूप से गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा है, के संबंधित व्यापार संघ अथवा ज्ञात निर्यातक;

(ग) जापान सरकार; और

(घ) अन्य इच्छुक पार्टियां, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) महानिदेशक नियम 4 के उप नियम (3) में संदर्भित आवेदन की एक प्रति निम्नलिखित को भी उपलब्ध कराएगा:

(क) केंद्र सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय;

(ख) उद्गमित माल के ज्ञात निर्माता या संबंधित व्यापारिक संगठन;

(ग) जापान सरकार:

बशर्ते कि महानिदेशक किसी अन्य इच्छुक पार्टी को उसके लिखित अनुरोध पर ही ऐसी प्रति उपलब्धि कराएगा।

(4) महानिदेशक निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और जापान सरकार को नोटिस जारी करके ऐसे प्रारूप में जानकारी मांग सकता है जो कि वह विनिर्दिष्ट करे और ऐसे नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर जिसके लिए पर्याप्त कारण बताते हुए महानिदेशक अनुमति दे, ऐसी जानकारी उनके द्वारा तथा जापान सरकार के द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेजों के बारे में यह माना जाएगा कि वे महानिदेशक के द्वारा पंजीकृत डाक से भेजे जाने की तारीख के एक हफ्ते के बाद या जापान सरकार के यथोचित राजनयिक प्रतिनिधि को भेजे जाने के बाद प्राप्त हो गए हैं।

(5) महानिदेशक जांच के अधीन उद्गमित माल के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को, और यदि उद्गमित माल की खुदरा स्तर पर सामान्य बिक्री की जाती है तो प्रतिनिधि उपयोगकर्ता संगठनों को, यह अवसर प्रदान करेगा कि वे ऐसी जानकारी दे सकें जो कि जांच की दृष्टि से संगत हो।

(6) महानिदेशक किसी इच्छुक पार्टी को भी या उसके प्रतिनिधि को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वे उपस्थित होकर ऐसी जानकारी मौखिक रूप से दे सकते हैं जो कि जांच की दृष्टि से संगत हो और ऐसी जानकारी पर महानिदेशक तभी विचार करेगा जब वह महानिदेशक के द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(7) महानिदेशक एक इच्छुक पार्टी द्वारा दिए गए साक्ष्य को ऐसी दूसरे इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध करा सकता है जो कि जांच कार्य में भाग ले रही हों।

(8) यदि कोई इच्छुक पार्टी महानिदेशक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई आवश्यक जानकारी लेने से मना कर देता या उसे प्रदान नहीं करता है अथवा जांच कार्य में अवरोध उत्पन्न करता है तो महानिदेशक अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को लिपिबद्ध करेगा और ऐसी परिस्थितियों में जो उचित समझेगा उस दृष्टि से केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेज देगा।

6. गोपनीय जानकारी.- (1)नियम 5 के उप नियम (1),(3) और (7), नियम 8 के उप नियम (2) और नियम 10 के उप नियम (5) में निहित किन्हीं बातों के बावजूद कोई भी सूचना जो

कि गोपनीय प्रकृति की हो या जिसे गोपनीयता के आधार पर प्रदान किया गया हो तो उसके बारे में कारण बताए जाने पर, महानिदेशक द्वारा उसे गोपनीय समझा जाएगा और उसे ऐसी सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए जाने बिना घोषित नहीं किया जाएगा।

(2) महानिदेशक गोपनियता के आधार पर जानकारी देने वाली पार्टियों से इनके गैर-गोपनीय सारांश को देने के लिए कह सकता है और यदि ऐसी जानकारी प्रदान करने वाली पार्टी की राय में ऐसी जानकारी को संक्षिप्त रूप में नहीं दिया जा सकता है तो ऐसी पार्टी महानिदेशक को यह विवरण देगी कि ऐसी जानकारी को संक्षेप में प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात के बावजूद, यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट होता है कि गोपनीयता के अनुरोध की जरूरत नहीं है या ऐसी जानकारी को देने वाला इस बात को लेकर अनिच्छुक है कि जानकारी को सार्वजनिक किया जाए अथवा इसे सामान्य अथवा सारांश रूप से घोषित किया जाए तो वह ऐसी जानकारी को नजरअंदाज कर सकता है, जब तक कि उसे अन्य यथोचित स्रोतों से यह पता न लग जाए कि ऐसी जानकारी सही है।

7. गंभीर क्षति का या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण.- महानिदेशक अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करते हुए यह निर्धारित करेगा कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति का खतरा है.-

(क) महानिदेशक सभी संगत कारकों का वस्तुनिष्ठ और परिमाणात्मक दृष्टि से मूल्यांकन करेगा जिनका कि घरेलू उद्योग में विशेष तौर पर प्रभाव पड़ता हो और जिनका उद्गमित माल के आयात में निरपेक्ष रूप से और तुलनात्मक रूप से जो वृद्धि होती है उसकी दर और मात्रा, उद्गमित माल के आयात में होने वाली वृद्धि से घरेलू बाजार में हिस्से, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता प्रयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार पर भी जो प्रभाव पड़ता है वह उसका भी मूल्यांकन करेगा; और

(ख) इस नियम के अंतर्गत संदर्भित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर जांच से यह पता नहीं चलता है कि उद्गमित माल के बढ़ते निर्यात और उससे होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बीच कोई हेतुक संबंध है और जब उद्गमित माल के आयात में होने वाली वृद्धि के अलावा अन्य किसी कारण से घरेलू उद्योग को उसी समय कोई हानि हो रही हो तो ऐसी हानि के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उद्गमित माल के आयात में होने वाली वृद्धि के कारण हो रही है।

8. **प्रारम्भिक निष्कर्ष.-** (1) महानिदेशक तेजी से जांच की कार्यवाही करेगा और संकटपूर्ण हालात में, घरेलू उद्योग को होने वाली उस गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के बारे में अपने निष्कर्ष लिपिबद्ध करेगा जो कि उद्गमित माल के बढ़ते आयात के कारण हो रही हो।

(2) महानिदेशक ऐसी अपने प्रारमंभिक निष्कर्ष के बारे में सार्वजनिक सूचना जारी करेगा और इस सार्वजनिक सूचना की प्रति निम्नलिखित को देगा -

(क) केंद्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;

(ख) जापान सरकार।

9. **अनंतिम द्विपक्षीय रक्षा उपायों का प्रयोग -** (1) केंद्र सरकार, महानिदेशक के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर,-

(क) इस व्यापार करार के अंतर्गत उद्गमित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में किसी और कटौती को स्थगित कर सकती है; या

(ख) उद्गमित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक वृद्धि कर सकती है जो कि निम्नलिखित में से निम्न दर से अधिक न हो:

(i) द्विपक्षीय रक्षोपाय किए जाने की तारीख को प्रभावी उद्गमित माल पर लगने वाली सीमा शुल्क की लागू मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र दर; अथवा

(ii) व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व उद्गमित माल पर लगने वाली सीमा शुल्क की लागू मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र दर।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत अपनाए जाने वाले द्विपक्षीय रक्षोपाय इनको लागू किए जाने की तारीख से दो सौ दिनों से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

10. अंतिम निष्कर्ष.- (1) महानिदेशक ऐसी जांच के प्रारम्भ की तारीख से आठ महीने के भीतर, या ऐसी बढ़ाई हुई अवधि के भीतर, जोकि जाँच आरम्भ किए जाने की तारीख से एक वर्ष से ज्यादा न हो, जिसके लिए केन्द्र सरकार अनुमति दे, यह निर्धारण करेगा कि क्या,-

(क) जांच के अधीन माल के बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति हुई है या गम्भीर क्षति का खतरा पैदा हुआ है, और

(ख) इस व्यापार करार के अंतर्गत दी जाने वाली टैरिफ रिआयत के कारण बढ़े हुए आयात और घरेलू उद्योग को होने वाली गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति के खतरे के बीच कोई हेतुक संबंध है।

(2) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों के बारे में ऐसी भी सिफारिश करेगा जो कि गम्भीर क्षति को रोकने या इसका उपचार करने या समायोजन में सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त हों।

(3) महानिदेशक द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि के बारे में भी अपनी सिफारिशें देगा :

बशर्ते कि जहां कि इस प्रकार की सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक होगी वहां महानिदेशक लागू किए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर द्विपक्षीय रक्षा उपायों के प्रगामी उदारीकरण की भी सिफारिश करेगा जो कि समायोजन किए जाने की दृष्टि से पर्याप्त होंगे।

(4) अंतिम निष्कर्ष, यदि सकारात्मक हैं तो, में तथ्यों और उनसे संबंधित विधियों और कारणों के बारे में जानकारी निहित होगी जिनके कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है।

(5) महानिदेशक अंतिम निष्कर्षों को एक सार्वजनिक सूचना के रूप में जारी करेगा।

(6) महानिदेशक अपने अंतिम निष्कर्षों से संबंधित सार्वजनिक सूचना की एक प्रति निम्नलिखित के पास भी भेजेगा -

(क) केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय;

(ख) जापान सरकार।

11. द्विपक्षीय रक्षोपाय का लागू किया जाना.- (1) महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने पर, अंतिम निष्कर्षों के अंतर्गत आने वाले माल के संबंध में गम्भीर क्षति को रोकने या उसका उपचार करने या समायोजन करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, व्यापार करार के प्रावधानों को लागू करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में यथोचित संशोधन करेगा, जिससे कि -

(क) व्यापार करार के अंतर्गत ऐसे माल पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में की जाने वाली और कटौती को स्थगित कर सके; या

(ख) संबंधित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क की दर में उस स्तर तक बढ़ोत्तरी कर सके जो कि निम्नलिखित में से निम्न दर से अधिक न हो:

(i) द्विपक्षीय रक्षोपाय किए जाने की तारीख को प्रभावी उद्गमित माल पर लगने वाली सीमा शुल्क की लागू मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र दर; अथवा

(ii) व्यापार करार के लागू होने की तारीख से तत्काल पूर्व उद्गमित माल पर लगने वाली सीमा शुल्क की लागू मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र दर है।

(2) यदि महानिदेशक के अंतिम निष्कर्ष प्रथम दृष्टतया साक्ष्य जिसके आधार पर अन्वेषण शुरू किया गया था, के विपरीत हैं तथा अंतिम निष्कर्ष में रक्षोपाय लागू करने की सिफारिश नहीं की गई है तो केन्द्र सरकार महानिदेशक द्वारा दिए गए अंतिम निष्कर्षों के प्रकाशन के तीस दिन के भीतर नियम 10 के अंतर्गत लगाए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय, यदि कोई हो, को वापस लेगी।

(3) द्विपक्षीय रक्षोपायों के अनंतिम अथवा अंतिम रूप से समाप्त किए जाने पर, उद्गमित माल की सीमा शुल्क की दर वह होगी जो कि द्विपक्षीय रक्षोपाय के नहीं होने पर लागू होती।

12. रक्षोपायों के प्रारम्भ की तारीख.- (1) नियम 9 और नियम 11 के अंतर्गत लागू किए गए द्विपक्षीय रक्षोपाय, इस तरह के रक्षोपाय को लागू करने वाली अधिसूचना के शासकीय राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(2) उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, जहां कहीं एक अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय लागू किया गया है और जहां कहीं महानिदेशक ने यह निष्कर्ष रिकॉर्ड किया है कि बढ़े हुए आयात से घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति पहुंची है अथवा क्षति पहुंचने का खतरा है तो इसे नियम 11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इस तरह के रक्षोपाय अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लागू किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

13. ड्यूटी की वापसी.- यदि जांच के समाप्त होने के पश्चात किए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की ऐसी दर बनती है जो कि पहले से ही किए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क की दर से कम है तो संग्रहित की गई ड्यूटी के अंतर को आयातक को वापस कर दिया जाएगा।

14. अवधि.- (1) नियम 11 के अंतर्गत लागू द्विपक्षीय रक्षोपाय केवल उस सीमा में और उस अवधि के लिए होंगे जो कि गम्भीर क्षति को रोकने अथवा समाप्त करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो।

(2) इस नियम के उप-नियम (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 11 के अंतर्गत लागू द्विपक्षीय रक्षोपाय, इनके लागू किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि से अधिक तक लागू नहीं होंगे:

बशर्ते कि उच्च अपवादिक परिस्थितियों में केन्द्र सरकार महानिदेशक की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात नियम 16 के उप-नियम (1) के अंतर्गत द्विपक्षीय रक्षोपाय लगाए जाने की अवधि को बढ़ा सकती है:

बशर्ते यह भी कि द्विपक्षीय रक्षोपायों की कुल अवधि, इनकी बढ़ाई गई अवधि सहित, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के अंतर्गत कोई भी द्विपक्षीय रक्षोपाय ऐसे उद्गमित माल विशेष के आयात पर पुन: लागू नहीं होगा जो कि इस प्रकार के द्विपक्षीय रक्षोपाय के अध्यधीन ऐसी अवधि के लिए है जो कि उस अवधि के बराबर है जिसके दौरान इस प्रकार के उपायों को पहले लागू किया गया था, बशर्ते यह कि लागू न किए जाने की अवधि कम से कम एक वर्ष हो।

15. द्विपक्षीय रक्षोपायों का उदारीकरण.- यदि नियम 11 के अंतर्गत लगाए गए द्विपक्षीय रक्षोपायों की अवधि एक वर्ष से अधिक हो तो द्विपक्षीय रक्षोपायों का इनके लगाए जाने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर प्रगामी रूप से उदारीकृत किया जाएगा।

16. समीक्षा.- (1) महानिदेशक नियम 14 के उप-नियम (2) की शर्तों के अनुसार द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं यदि वे उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि -

(क) द्विपक्षीय रक्षोपाय गम्भीर क्षति को रोकने अथवा इसका उपाय करने के लिए आवश्यक हैं और इस बात का साक्ष्य है कि घरेलू उद्योग सकारात्मक रूप से समायोजन कर रहा है, तो वे द्विपक्षीय रक्षोपायों के निरंतर लगाए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं;

(ख) ऐसे उपायों को जारी रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं है, तो वे रक्षोपायों को वापस लिए जाने के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश कर सकते हैं।

(2) नियम 4,5,6 और 10 के प्रावधान समीक्षा के मामले में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।